प्रेस नोट 13.10.2021

एक ट्रक वाहन में लदा (लगभग लाख रूपये कीमती) 01 कुन्तल 83 किलो अवैध गांजा बरामद, एक तश्कर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 12.10.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस व स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान भुजौटी मछली मण्डी के पास से एक ट्रक वाहन (यूपी 32 बीजी 7462) से 14 बोरी में लदे 183 किलों अवैध गांजा बरामद कर एक अभियुक्त शोभनाथ यादव पुत्र स्व0 बुधई यादव निवासी कोटवा थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया।

थाना सरायलखंसी पुलिस व स्वाट टीम द्वारा भुजाटी मछली मण्डी के पास चेकिंग की जा रही थी तभी एक संदिग्ध ट्रक वाहन बहुत तेजी से दोहरीघाट की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसे सक होने पर रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वाहन चालक वाहन को रोककर भागने लगा लेकिन पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। भागने का कारण पूछने पर उक्त चालक द्वारा बताया गया कि पुलिस को देखकर डर कर भागने लगा था। जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उक्त वाहन चालक द्वारा बताया गया कि साहब मेरे ट्रक में गांजा लदा है इसलिए मै पुलिस को देखकर भागने लगा। जब ट्रक का डाला खोलकर देखा गया तो उसमें 14 बोरी में गांजा लदा था जिसको वजन करने पर 183 किलों पता चला। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त से जब गांजा के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उक्त ट्रक में लदा गांजा मेरा तथा दीपक पाण्डेय उर्फ गुड्डू पाण्डेय का है, हम दोनो आधा आधा रूपया लगाकर क्रय किये है लेकिन दीपक पाण्डेय गांजा लाद कर कही चले गये।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 496/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट जब्त किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. शोभनाथ यादव पुत्र स्व0 बुधई यादव निवासी कोटवा थाना रानीपुर मऊ।

बरामदगी–

1. एक ट्रक वाहन (यूपी 32 बीजी 7462) में 14 बोरी में लदा 183 किलों अवैध गांजा।

वांछित अभियुक्त–

1. तथा दीपक पाण्डेय उर्फ गुड्डू पाण्डेय पुत्र स्व0 अच्छेलाल पाण्डेय निवासी बड़ौरा थाना रानीपुर मऊ।

गिरफ्ताकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी राम सिंह, उ0नि0 पन्नालाल, हे0का0 धर्मेन्द सिंह, हे0का0 चन्दन सिंह का0 रोहित यादव, का0 प्रदीप कुमार यादव, का0 लवकुश सिंह, हे0का0 चालक मुन्ना राजभर **थाना सरायलखंसी।**

स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव, हे0का0 अजय यादव, हे0का0 विकाश यादव, हे0का0 राजू सिंह, का0 अजित यादव, का0 नीरज कुमार यादव, का0 अमरनाथ मौर्या, का0 लायक हुसैन, हे0का0 चालक शत्रुधन सिंह **स्वाट टीम मऊ।**

आरक्षी संजय सिंह **सर्विलांस सेल मऊ।**

01 किलों 390 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

आज दिनांक 13.10.2021 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान लीलहवा पुलिया के पास से अनरजीत यादव उर्फ झब्बर पुत्र परमहंश निवासी धर्मपुर लीलहवा थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 01 किलों 390 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 506/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 13.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा सरौदा से मु0अ0सं0 170/21 धारा 354,506 भादवि0 व 7/8 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त शशीकांत यादव पुत्र रामदरश यादव निवासी सरौदा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त मो0 आयुब पुत्र महमूद अहमद निवासी जमालपुर भिक्कमपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 13.10.2021 को आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल तथा पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के नेतृत्व में नगर क्षेत्र अन्तर्गत कोतवाली से मिर्जाहाजीपुरा तक अर्धसैनिक बल, पीएसी, आरएफ व जनपद मऊ पुलिस बल सहित भारी पुलिस बल के साथ रूट मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को फोर्स व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।